BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I N D E X

IN

COMPLIANCE AFFIDAVIT

(On behalf of Respondent No. 2 i.e. PCCF/HoFF, Uttarakhand)

IN

O.A. No. 305 OF 2022

Vipin Nayyar ....Applicant

Versus

Union of India & Ors. ....Respondents

S. No.	Particulars	P. Nos.
1.	Index	1
2.	Compliance Affidavit	2 – 7
3.	**ANNEXURE-1 (Colly)** True/photocopy of the inspection report, furnished by Conservator of Forests, Shivalik Circle	8 - 16

Dated: 06/12/2023

Rahul Verma
Add. Advocate General
Government of Uttarakhand

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

COMPLIANCE AFFIDAVIT

(On behalf of Respondent No. 2 i.e. PCCF/HoFF, Uttarakhand)

IN

O.A. No. 305 OF 2022

Vipin Nayyar ....Applicant

Versus

Union of India & Ors. ....Respondents

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2007 10-12-22 to 09-12-27 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA) NOTARIAL NOTARIAL

Affidavit of Anup Malik (Male), aged about 59 years, S/o Sh. Pratap Singh, presently posted as Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Uttarakhand.

(Deponent)

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2007 10-12-22 to 09-12-27 GOVT. OF UTTARAKHAND

I, the above named deponent, do hereby solemnly affirm and state on as of:

1. That the deponent is presently posted as Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Uttarakhand, and has been arrayed as a respondent No.2 in the above noted application, as such he is fully conversant with the facts of the case.

2. That on 29.09.2023, after the course of hearing in the present matter, this Hon'ble Tribunal was pleased to pass certain directions and direct the deponent to file an affidavit in compliance thereof. The relevant

paras of the said Order dated 29.09.2023 are being quoted here for kind perusal of this Hon'ble Tribunal:

"15. The PCCF (HoFF), Government of Uttarakhand is directed to look into the matter personally, make the relevant inquiry on the basis of the record of the Forest Department and the Revenue Department, look into the averments made in the original application and the documents attached with the same and the replies filed by the respondents and file his affidavit explaining the factual position as involved in the present case within one month by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.

22. In view of the facts and circumstance of the case, we also consider personal appearance of the PCCF (HoFF), Government of Uttarakhand, Chief Engineer, Department of Irrigation, Government of Uttarakhand and District Magistrate, Dehradun, physically on the next date of hearing to be essential for producing the relevant record and assisting this Tribunal in just and proper adjudication of the questions involved in the case. Accordingly they are directed to remain present before this Tribunal on that date with the relevant record".

That in compliance to the above directions, the deponent directed the Conservator of Forests, Shivalik Circle, vide letter no. P.O/47 dated 02.12.2023, who is having jurisdiction over the forest land/river in question, to inspect the site personally and after going through the relevant documents shall furnish his report pertaining to the above queries, as directed by this Hon'ble Tribunal.

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg. No. 19(01)2007 10-12-22 to 09-12-27 GOVT. OF UTTARAKHAND

3. That it is pertinent to mention here that the Conservator of Forests, is a very senior post in the departmental hierarchy. He is placed at level 13-A in the 7th pay commission pay matrix. Conservator of Forests, Shivalik Circle, himself visited the site on 03.12.2023 in the presence of Revenue as well as Forest department officials. After the site visit and examination of the relevant records he had submitted his detailed report vide his letter no. 6297/29-3(3) dated 04.12.2023. Along with his

report, he has annexed the joint inspection report, submitted by the joint committee of Revenue and forest department officials. Copy of the report furnished by the Conservator of Forests, Shivalik Circle along with the joint inspection report is being annexed collectively and marked as **ANNEXURE-1.**

4. That as per the report furnished by the Conservator of Forests, Shivalik Circle, the entire construction of Moga Resort is on private land (land with transferable rights) as allotted to the owner of Moga Resort by the Revenue Department. Thus, there is no encroachment on the Reserve forest land.

5. That as per the joint inspection report of the revenue and the forest department, a stretch of 91 mtrs. of Rambha river which is flowing parallelly on the right side of Moga Resort is mentioned as *'khala'* in revenue records and is part of khasra no. 94-ka and 95-ga under the jurisdiction of revenue department, (village Virpur Khurd). Thus, this particular stretch of 91 Mtrs. is not part of Reserve Forest. It is pertinent to mention here that beyond the above mentioned stretch of 91 Mtrs. of Rambha river, a stretch of around 130 Mtrs. of river Rambha, lies down stream of Moga Resort and its confluence with river Ganga. This 130 Mtrs. stretch lies in Reserve Forest compartment Veerbhadra-2d of Rishikesh range of Dehradun Forest Division. As far as width of Rambha river flowing along the length of Moga Resort is concerned, it is around 10 Mtrs. Moreover, this entire stretch is protected on both the banks by flood protection walls constructed by irrigation department (as informed by the locals).

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No. 19(01)2002 10-12-22 to 09-12-27 GOVT. OF UTTARAKHAND

6. That the Conservator of Forests, Shivalik Circle also inspected the adjoining Reserve Forest area including the area situated on the confluence of river Rambha and Ganga, and as per his report, no direct

or indirect signs of felling of trees were found in the above mentioned Reserve Forest areas. This fact was further ascertained from the perusal of record of forest offences (H-1 register) maintained in the range office.

7. That the Conservator of Forests, Shivalik Circle, vide his detailed report dated 04.12.2023, has concluded after thorough examination of the records of Revenue and forest department, site inspection and detailed survey of the boundaries of the reserve forest, that the entire construction of Moga Resort is outside the boundary of the reserve forest, and the river Rambha flowing parallelly throughout the length of the Moga Resort, falls outside the boundary of the reserve forest area. Moreover, there is no sign of illicit felling of trees in the adjoining Reserve Forest near the confluence of river Rambha and Ganga.

8. Thus, after looking into the matter personally, and making the relevant inquiry through Conservator of Forests, Shivalik Circle and after going through the records of the Forest Department and the Revenue Department, and after looking into the averments made in the original application and the documents attached with the same the deponent has reached at the conclusion that the Moga Resort has been constructed on private land allotted to the owner by Revenue Department. As far as the stretch of Rambha river (91 Mtrs.) flowing parallelly to Moga Resort is concerned, this stretch is part of Revenue Department land. The width of this stretch is around 10 Mtrs. with *pucca* protection walls constructed on both the banks. Thus, neither the Moga Resort nor the stretch of river Rambha flowing parallelly to Moga Resort are part of Reserve Forest area. Thus, it is concluded that there is no encroachment on Reserve Forest area. As far as felling of trees in adjoining reserve forest area is concerned, no direct or indirect sign of illicit felling was

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)200 10-12-22 to 09-12-27 GOVT. OF UTTARAKHAND

6

found. Thus, it can be concluded that no illicit felling has happened in the said area.

9. That as far as flood plain zone of river Ganga is concerned, it is a matter related with irrigation department, and the Hon'ble Tribunal has already directed the Chief Engineer, Irrigation Department to file his reply before this Hon'ble Tribunal.

10. That as far as prohibited distance from archaeological site is concerned, the archaeological survey of India (ASI) would be the competent authority to respond to the said averment.

11. That the deponent is a responsible government servant having highest regards for the Hon'ble Law Court's and orders passed by them. The deponent cannot even imagine to flout or to disobey the orders passed by this Hon'ble Tribunal. He has always made his sincerest efforts to carry out the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and also shall carry out in future as well.

I, the above named deponent, do hereby verify that the contents of Para nos. 1-2 of this affidavit are true to my personal knowledge, those of Para nos. 3 — of this affidavit are based on records, those of Para nos. — of this affidavit are as per the legal advice received and those of Para nos. 4 - 10 - of this affidavit are as per the information received which all I believe to be true. That no part of this affidavit is false and nothing material has been concealed.

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002 10-12-22 to 09-12-27 GOVT. OF UTTARAKHAND

So help me God

DEPONENT

I, Avnish Gupta, Legal Assistant, Forest Department, Uttarakhand, Dehradun, do hereby identify the deponent who has produced the records of the case and his Aadhar card bearing No. 932372853294 before me and I am satisfied that he is the same person as alleged.

IDENTIFIER

Solemnly affirmed before me today, the 06th day of December, 2023 at 11:20 am/~~pm~~ by the deponent who has been identified by the aforesaid person.

I have satisfied myself by examining the deponent that he has understood the contents of this affidavit, which have been read over and explained to him.

OATH COMMISSIONER/NOTARY

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Regd. No. 19/03/2017 10-12-22 to 09-12-27 GOVT. OF UTTARAKHAND

Sr. No. 10283/23

This affidavit is sworn before me by
Shri Anop Malik
who is identified by Shri Avnish Gupta
at Dehradun on 6/12/23

6/12/23
(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun

8

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांकः– 6297 /29–3(3), देहरादून, दिनांक– 04, दिसम्बर, 2023.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–305/2022 (I.A. No 751/2023) विपिन नय्यर बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– आपका पत्रांक–पी0ओ0/47, दिनांक–02.12.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–305/2022 (I.A. No 751/2023) विपिन नय्यर बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक–29.09.2023 तथा आपके उपरोक्त पत्र के क्रम में दिनांक–03.12.2023 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा देहरादून वन प्रभाग की ऋषिकेश रेंज के अन्तर्गत ग्राम वीरपुर खुर्द स्थित मोगा रिजोर्ट का निरीक्षण वन विभाग एवं राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों के साथ किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, उप प्रभागीय वनाधिकारी, ऋषिकेश, प्रभागीय सर्वेयर, वन क्षेत्राधिकारी, ऋषिकेश एवं क्षेत्रीय कर्मचारी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग से राजस्व उप निरीक्षक एवं राजस्व निरीक्षक भी मौके पर उपस्थित रहे। निरीक्षण आख्या निम्न प्रकार हैः–

1. मोगा रिजोर्ट ऋषिकेश रेंज के वीरभद्र नामक स्थान पर स्थित ग्राम वीरपुर खुर्द के अन्तर्गत स्थित है।

2. वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा उक्त स्थल पर पूर्व में भी संयुक्त सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा माननीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक–29.09.2023 के क्रम में पुनः संयुक्त सर्वेक्षण किया गया, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि ग्राम वीरपुर खुर्द परगना–परवादून का खसरा नं0 94 घ रकबा 0.0450 है0, 94 ङ, रकबा 0.0810 है0 व 95 ख 0.0130 है0 कुल क्षेत्रफल 0.1390है0 भूमि को न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी ऋषिकेश द्वारा वाद सं0 विविध/2015 सुरेन्द्र कुमार मोगा बनाम सरकार में ज0वि0अधि0 की धारा 131ख के अनुसार उ0प्र0 जमी0 एवं भूमि न्या0 अधि0 1950 की धारा 122बी (4च) (अनुसूचित जाति) के अनुसार विनियमितीकरण करते हुए दिनांक–08.01.2021 को संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार दिये गये हैं **(आदेश की छायाप्रति संलग्नक–1)**।

3. उपरोक्त मोगा रिजोर्ट का विगत वर्ष भी राजस्व एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें यह स्पष्ट हुआ था कि मोगा रिजोर्ट राजस्व एवं वन विभाग के अभिलेखों एवं मौके की पैमाईश के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा से बाहर है **(स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्नक–2)**। स्थलीय निरीक्षण समिति द्वारा विगत वर्ष किये गये संयुक्त निरीक्षण के मुख्य अंश निम्न प्रकार हैः–

> *"सर्वे शीट सं0–41 व 42 (वर्ष 1874–75, 1874–76) के आधार पर प्रदर्शित सीमा स्तम्भों के दिक्मान एवं सीमा स्तम्भों के मध्य दूरी को मापा गया। सीमा स्तम्भ संख्या को आधार मानकर उक्त समस्त रीडिंग को गूगल अर्थ पर डाला गया व एक Polygon K.M.L तैयार की गयी, जिसके अनुसार मौजा वीरपुर खुर्द मोघा रिजोर्ट पक्का निर्माण आरक्षित वन क्षेत्र से बाहर पाया गया। मोघा रिजोर्ट आरिक्षित वन सीमा के मिलान पर स्थित है। प्रश्नगत स्थल के सम्बन्ध में पूर्व में भी जांच की गई थी। जिसके अनुसार भी ग्राम वीरपुर खुर्द, तहसील ऋषिकेश में निर्मित मोघा रिजोर्ट (पक्का निर्माण) आरक्षित वन सीमा से बाहर है। राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों के अनुसार ग्राम वीरपुर खुर्द, परगना परवादून, तहसील ऋषिकेश जिला–देहरादून की खतौनी वर्ष 1426F से 1431F के खाता सं0–273 पर अंकित आदेश न्यायालय सहा0कले0 प्रथम श्रेणी ऋषिकेश वाद संख्या विविध/2015 सुरेन्द्र कुमार मोघा बनाम सरकार, मौजा वीरपुर खुर्द धारा 131 ख ज0वि0अधि0 कार्यालय के आदेश दिनांक–08.01.2021के अनुसार ग्राम वीरपुर खुर्द के खाता सं0–260 के ख0न0–94घ रकबा 0.0450 है0 94 ङ रकबा 0.0810 है0 95 घ रकबा 0.0130 है0 कुल रकबा 0.1390 भूमि से सुरेन्द्र कुमार पुत्र पलटूराम नि0 ग्राम (अनुसूचित जाति) को उ0प्र0 ज0वि0अधि0 एवं भूमि व्यवसाय अधि0 1950 की धारा 122 बी (4 च) के अनुसार विनियमितीकरण करते हुए संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर राजस्व अभिलेखों में अंकित होने के आदेश पारित है। राजस्व विभाग के अनुसार उक्त भूमि आरक्षित वन से बाहर है।"*

4. स्थलीय निरीक्षण के दौरान राजस्व विभाग एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा वीरभद्र मंदिर को स्थिर बिन्दु मानते हुए राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सजरा शीट एवं वन विभाग के पास उपलब्ध सर्वे शीट संख्या–41 एवं 42 (वर्ष 1874–75, 1874–76) का मिलान करके अधोहस्ताक्षरी की उपस्थिति में पुनः पैमाईश की गयी, जिसमें यह पाया गया कि मोगा रिजोर्ट उपरोक्त राजस्व खसरा नम्बरान के अन्तर्गत ही निर्मित है तथा उसका कोई भी भाग आरक्षित वन क्षेत्र में निर्मित नहीं है **(संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्नक–3)**।

5. उपरोक्त के अतिरिक्त मोगा रिजोर्ट के समानान्तर बह रही रम्भा नदी राजस्व अभिलेखों में 'खाला' के रूप में दर्ज है। उक्त रम्भा नदी का वह भाग जिसकी सीमा मोगा रिजोर्ट की सीमा से लगती हुई है, उसकी लम्बाई 91 मी0 एवं चौड़ाई लगभग 10 मी0 है तथा इसके दोनों तरफ बन्धे का निर्माण हो रखा है। स्थानीय निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त बन्धे का निर्माण पुनर्वास खण्ड (ऋषिकेश), सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में किया गया है। इस प्रकार मोगा रिजोर्ट के समानान्तर बह रही रम्भा नदी का 91 मी0 भाग जो मोगा रिजोर्ट से सटा हुआ है वह पूर्ण रूप से राजस्व ग्राम वीरपुर खुर्द के खसरा नम्बर 94 क एवं 95 ग में स्थित है।

6. स्थलीय निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत स्थल के निकटवर्ती आरक्षित वन क्षेत्र जो कि रम्भा एवं गंगा नदी के संगम पर स्थित है, का भ्रमण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार के अवैध पातन का कोई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला। वन क्षेत्राधिकारी, ऋषिकेश रेंज द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक–410/27, दिनांक–03.12.2023 द्वारा रेंज कार्यालय में संधारित एच–1 पंजिका के अवलोकन के उपरान्त यह स्पष्ट किया है कि उक्त आरक्षित विगत वर्षो में भी निकटवर्ती आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध पातन का कोई प्रकरण दर्ज नहीं है, की गयी है **(वन क्षेत्राधिकारी, ऋषिकेश के पत्र की प्रति संलग्नक–4)**।

10

7. यह भी उल्लेखनीय है कि मोगा रिजोर्ट की सीमा आरक्षित वन क्षेत्र वीरभद्र कक्ष सं0–2डी के मिलान पर स्थित है तथा रम्भा नदी मोगा रिजोर्ट की सीमा के उपरान्त आरक्षित वन क्षेत्र वीरभद्र कक्ष सं0–2डी में लगभग 130 मी0 लम्बाई में बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है।

निरीक्षण के दौरान राजस्व एवं वन अभिलेखों/नक्शों का अवलोकन करने तथा मौके पर पैमाईश करने से यह स्पष्ट हुआ कि मोगा रिजोर्ट का निर्माण निजी भूमि पर है तथा आरक्षित वन क्षेत्र से बाहर हैं। मोगा रिजोर्ट के समानान्तर रम्भा नदी राजस्व भूमि पर बह रही है तथा आरक्षित वन क्षेत्र से बाहर है।

अतः जांच आख्या महोदय की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

पत्रांक– 6297 /29–3(3), तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल), उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

11

न्यायालय सहायक कलैक्टर (प्रथम श्रेणी) ऋषिकेश जिला देहरादून

वाद सं0 विविध

सुरेन्द्र कुमार मोघा बनाम सरकार

मौजा वीरपुरखुर्द

धारा 131 ख ज0वि0अधि0

निर्णय

उपरोक्त वाद की कार्यवाही वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ हुयी। वादी के अनुसार ग्राम वीरपुरखुर्द परगना परवादून के खाता सं0 260 के खसरा नं0 94 घ रकबा 0.0450हे, 94 ड रकबा 0.0810 हे, 95 ख रकबा 0.0130 कुल रकबा 0.1390 है0 वादी उक्त भूमि को असंकमणीय से संकमणीय भूमिधरी में दर्ज कराने हेतु प्रार्थना की गयी है।

वादी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार ऋषिकेश से जांच करायी गयी। तहसीलदार ऋषिकेश ने अपनी जांच आख्या में उल्लेख किया है कि ग्राम वीरपुरखुर्दके खाता स0 260 के खसरा नं0 94 घ रकबा 0.0450हे, 94 ड रकबा 0.0810 हे, 95 ख रकबा 0.0130 कुल रकबा 0.1390 है0 भूमि नई परती श्रेणी 5 (1) में दर्ज है जिस पर प्रार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र पल्टुराम निवासी– बीरपुरखुर्द का 3 जून 1995 ई0 से पूर्व का कब्जा है, शासनादेश सं0 341/एक–1–10 (2/13) दिनाक 14 सितम्बर 1995 एंव उत्तर प्रदेश जमिदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 क की उपधारा (4–च) के अनुसार प्रार्थी अनुसूचित जाति के परिवार का सदस्य है तथा प्रार्थी के पास समस्त उत्तराखण्ड में इस भूमि को शामि करते हुए 1.260हे0 से कम भूमि है, तथा प्रश्नगत भूमि उक्त अधिनियम की धारा 132 की भूमि नही है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध आंवटन पत्रावली की सत्यप्रति के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी को ख्खाता सं0 260 के खसरा नं0 94 घ रकबा 0.0450हे, 94 ड रकबा 0.0810 हे, 95 ख रकबा 0.0130 कुल रकबा 0.1390 है0 भूमि परगनाधिकारी ऋषिकेश के अनुमोदन द्वारा 2 ख असंकमणीय भूमिधरी के रूप मे आवंटित हुयी है जो वादी के कब्जे काश्त में है जिस कारण वादी का वाद धारा 131 ख की विधिक प्रविधानों की पूर्ति एंव शासनादेश सं0 341/एक–1–10 (2/13) दिनाक 14 सितम्बर 1995 की परिधि के अर्न्तगत आता है।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार करते हुए ग्राम वीरपुरखुर्द परगना परवादून तहसील ऋषिकेश के खाता सं0 260 के खसरा नं0 94 घ रकबा 0.0450हे, 94 ड रकबा 0.0810 हे, 95 ख रकबा 0.0130 कुल रकबा 0.1390 है0 भूमि श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र पल्टूराम निवासी ग्राम (अनुसूचित जाति) को उ0प्र0ज0वि0 एंव भू0व्य0अधि0 1950 की धारा 122 बी (4 च) के अनुसार विनियमितिकरण करते हुए संकमणीय अधिकार वाला भूमिधर राजस्व अभिलेखों मे अंकित होवे, तदानुसार परवाना जारी होवे, वाद अमलदरामद पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संचति होवे।

सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी
ऋषिकेश

उक्त निर्णय/आदेश आज दिनांक 8/1/2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में उदघोषित एंव हस्ताक्षरित किये।

सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी
ऋषिकेश

न्यायालय सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) ऋषिकेश जिला देहरादून।

वाद सं० विविध / 2015

सुरेन्द्र कुमार मोघा बनाम् सरकार

मौजा वीरपुरखुर्द

धारा –131 ख

ज०वि०अधि०

परवाना अमलदरामद

कार्यालय के आदेश दिनांक 8/1/2021 के अनुसार ग्राम वीरपुरखुर्द के खाता सं0 260 के खसरा नं0 94 घ रकबा 0.0450 हे, 94 ड रकबा 0.0810 हे0, 95 ख रकबा 0.0130 कुल रकबा 0.1390 हे, भूमि श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र पल्टूराम निवासी– ग्राम (अनुसूचित जाति) को उ0 प्र0 ज0 वि0 एं भू0व्य0अधि0 1950 की धारा 122 बी (4 च) के अनुसार विनियमितिकरण करते हुए संकमणीय अधिकार वाला भूमिधर राजस्व अभिलेखों राजस्व अभिलेखों मे अंकित होवे, वाद अमलदरामद परवाने की एक प्रति वापस पत्रावली हेतु भेजी जाए।

दिनाक 8/1/2021

सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी

ऋषिकेश

13

संयुक्त जांच आख्या

प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग के पत्रांक 82/12-1 पी0ए0 दिनांक 03-09-2022 के क्रम मे मोघा रिसोर्ट निकट वीरभद्र मन्दिर ऋषिकेश के सम्बन्ध में दिनांक- 05.09.2022 को सर्वेक्षण समिति, वन क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश एवं क्षेत्रीय स्टाफ तथा राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा स्थलीय सयुक्त जांच/सर्वेक्षण कार्य किया गया। उक्त पत्र के कम में प्रकरण की बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है

- ऋषिकेश रेंज के अन्तर्गत स्थित मोघा रिसोर्ट ग्राम वीरपुर खुर्द निकट वीरभद्र मन्दिर ऋषिकेश की विभाग मे उपलब्ध संसाधनों/अभिलेखों के अनुसार सर्वेक्षण/ स्थलीय जांच की गई। जांच के दौरान सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र में मौके पर अवस्थित 12 सीमा स्तम्भों में से 1 सीमा स्तम्भ को दिखाया गया, जो क्षतिग्रस्त अवस्था में मिला। दो नालों के मिलान पर होने से उसकी पुष्टि सीमा स्तम्भ संख्या 4 से की गई। उक्त सीमा स्तम्भ की जी0पी0एस0--N- 30°04'20.70"E- 078°16' 45.80" मौके से ली गयी। मौके पर आबादी (बसासत) होने के कारण कम्पास सर्वेक्षण किया जाना सम्भव नही हो पाया। इस क्षेत्र के आरक्षित वन से सम्बन्धित गजट **(संलग्न)** वर्ष 1910 एवं 1927 का भी संज्ञान लिया गया। गजट नोटिफिकेशन में स्थलीय स्थिति अस्पष्ट है। गजट में सीमा स्तम्भों की दूरी व दिशा प्रदर्शित नहीं है। बियरिंग उपलब्ध न होने के कारण गजट के अनुसार सर्वेक्षण करना सम्भव नहीं हो सका। सर्वे शीट सं0-41 व 42 (वर्ष 1874-75, 1874-76) के आधार पर प्रदर्शित सीमा स्तम्भों के दिक्मान एंव सीमा स्तम्भों के मध्य दूरी को मापा गया। सीमा स्तम्भ संख्या- 04 को आधार मानकर उक्त समस्त रीडिंग को गूगल अर्थ पर डाला गया व एक polygon K.M.L तैयार किया गया। जिसके अनुसार मौजा वीरपुर खुर्द मोघा रिसोर्ट पक्का निर्माण आरक्षित वन क्षेत्र से बाहर पाया गया। मोघा रिसोर्ट आरक्षित वन सीमा के मिलान पर स्थित है। प्रश्नगत स्थल के सम्बन्ध में पूर्व में भी जांच की गई थी। जिसके अनुसार भी ग्राम वीरपुर खुर्द, तहसील ऋषिकेश में निर्मित मोघा रिसोर्ट (पक्का निर्माण)आरक्षित वन सीमा से बाहर है।

- राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों के अनुसार ग्राम वीरपुर खुर्द, परगना परवादून, तहसील ऋषिकेश, जिला-देहरादून की खतौनी वर्ष 1426F से 1431F के खाता सं0-273 पर अंकित आदेश न्यायालय सहा.कले. प्रथम श्रेणी ऋषिकेश वाद संख्या विविध/2015 सुरेन्द्र कुमार मोघा बनाम सरकार, मौजा वीरपुर खुर्द धारा 131 ख ज0वि0अधि0 कार्यालय के आदेश दिनांक-08.01.2021 के अनुसार ग्राम वीरपुर खुर्द के खाता सं0-260 के ख.न.-94घ रकवा 0.0450 है0 94 ड रकवा 0.0810 है0 95 घ

रकबा 0.0130 है0 कुल रकबा 0.1390 भूमि से सुरेन्द्र कुमार पुत्र पलटूराम नि. ग्राम (अनुसूचितजाति) के उ0प्र0 ज0वि0अधि0 एंव भूमि व्यवसाय अधि0 1950 की धारा 122 बी (4 च) के अनुसार विनियमितिकरण करते हुए संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर राजस्व अभिलेखों में अंकित होने के आदेश पारित है। राजस्व विभाग के अनुसार उक्त भूमि आरक्षित वन से बाहर है।

अतः उपरोक्तानुसार वन विभाग व राजस्व विभाग के द्वारा की गयी जांच से यह निष्कर्ष निकलता है कि ऋषिकेश रेंज के अन्तर्गत ग्राम वीरपुर खुर्द, वीरभद्र मन्दिर के निकट जिस भूमि पर मोघा रिसोर्ट का पक्का निर्माण किया गया है वह आरक्षित वन सीमा से बाहर है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

SWAPNIL
RANGE FOREST OFFICER
RISHIKESH.

सुभाष चन्द्र वर्मा
उप प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग

विशाल कुमार
सर्वेयर
नरेन्द्र नगर वन प्रभाग

(सतीश चौधरी)
सर्वेयर
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

(मनसाराम गौड)
वन दरोगा
वीरभद्र

रा. उ. नि.
क्षेत्र ऋषिकेश

15

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–305/2022 (I.A. No 751/2023) विपिन नय्यर बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश– 29.09.2023 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग के पत्रांक– 3473/29–3, दिनांक– 13.10.2023 तथा उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश के पत्रांक– 1231/एस0पी0ए0–विविध, दिनांक–03.11.2023 के क्रम में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा राजस्व सजरे पर दर्शित वीरभद्र मन्दिर को आधार (स्थिर बिन्दु) मानते हुए ग्राम वीरपुर खुर्द के अन्तर्गत स्थित मोगा रिजोर्ट का संयुक्त सर्वेक्षण किया गया, सर्वेक्षण के उपरान्त आख्या निम्न प्रकार है:–

ग्राम वीरपुर खुर्द परगना–परवादून का खसरा नं0 94घ रकबा 0.0450 है0, 94 ङ रकबा 0.0810 है0 व 95 ख 0.0130 है0 कुल क्षे0 0.1390 है0 भूमि को न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी ऋषिकेश द्वारा वाद संख्या विविध/2015 सुरेन्द्र कुमार मोगा बनाम सरकार में ज0वि0अधि0 की धारा 131 ख के अनुसार उ.प्र. जमी. एवं भूमि न्या0 अधि0 1950 की धारा 122 बी (4 च) (अनुसूचित जाति) के अनुसार विनियमितीकरण करते हुए दिनांक–08.01.2021 को संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार दिये गये हैं। स्थल पर मोगा रिजोर्ट उपरोक्त खसरा नम्बरान में बना हुआ है। विनियमितीकरण से पूर्व उपरोक्त खसरा नं0 की भूमि श्रेणी 5(1) नई परती के रूप में दर्ज थी। मौके पर मोगा रिजोर्ट में कुल 16 कमरे, 2 हाल व 03 आवासीय कमरे बने हुए हैं। मोगा रिजोर्ट का समस्त निर्माण उपरोक्त 03 खसरों के अन्तर्गत है, तथा आरक्षित वन क्षेत्र से बाहर है। मोगा रिजोर्ट के समानान्तर बह रही रम्भा नदी राजस्व अभिलेखों में पूर्व से खाला दर्ज है। मोगा रिजोर्ट की सीमा से लगती हुई रम्भा नदी की कुल लम्बाई 91 मी0 व चौडाई लगभग 10 मी0 है, जो ग्राम वीरपुर खुर्द के खसरा नं0 94 क व 95 ग के आंशिक भाग में बह रही है।

मोगा रिजोर्ट की सीमा समाप्त होने के उपरान्त रम्भा नदी आरक्षित वन क्षेत्र वीरभद्र कक्ष सं0–2 डी में लगभग 130 मी0 लम्बाई में बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। मोगा रिजोर्ट के मिलान पर आरक्षित वन वीरभद्र कक्ष सं0–2 डी स्थित है, किन्तु मोगा रिजोर्ट का समस्त निर्माण निजि भूमि पर है, तथा आरक्षित वन क्षेत्र से बाहर है। नकल खतौनी (1426 से 1431) साथ में संलग्न है तथा रम्भा नदी को दर्शाता हुआ नक्शा भी साथ में संलग्न है।

SDO(R)

Surveyor

राजस्व निरीक्षक

रा.नि. ऋषिकेश

उ.रा.

उप राजि

R.O. Rishikesh

वन क्षेत्राधिकारी

तहसीलदार ऋषिकेश

16

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, ऋषिकेश रेंज, देहरादून वन प्रभाग

पंत्राक– 410/27, ऋषिकेश, दिनांक– 03:अक्टूबर:2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

द्वारा:– उप प्रभागीय वनाधिकारी ऋषिकेश उप वन प्रभाग।

विषय:– दिनांक–03.12.2023 को ऋषिकेश रेंज के अन्तर्गत ग्राम वीरपुर खुर्द स्थित मोगा रिजोर्ट का निरीक्षण।

संदर्भ:– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–305/2022 (I.A. No 751/2023) विपिन नय्यर बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में दिनांक–03.12.2023 को वन संरक्षक शिवलिक वृत्त, देहरादून, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून, उप प्रभागीय वनाधिकारी ऋषिकेश, वन क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश, अनुभाग अधिकारी वीरभद्र, विभागीय सर्वेयर, वन बीट अधिकारी वीरभद्र की उपस्थिति में मोघा रिसोर्ट वीरभद्र एवं निकटवर्ती आरक्षित वन क्षेत्र जो कि रम्भा एवं गंगा नदी के संगम पर स्थित है, का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें अवैध पातन का कोई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला।

उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा राजि अभिलेखों एवं एच–1 पंजिका का अवलोकन किया गया जिसमे मोघा रिसोर्ट के स्वामी के विरूद्ध अथवा निकटवर्ती आरक्षित वन क्षेत्र जो कि रम्भा एवं गंगा नदी के संगम पर स्थित है, में अवैध पातन सम्बन्धी कोई भी वन अपराध दर्ज नहीं है।

अतः उपरोक्त सूचना महोदय की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,
03-12-2023
(देवेन्द्र सिंह)
वन क्षेत्राधिकारी,
ऋषिकेश रेंज।

प्रतिलिपि:– वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

03-12-2023
(देवेन्द्र सिंह)
वन क्षेत्राधिकारी,
ऋषिकेश रेंज।